**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 846**

**28 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए**

**सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति**

**846. श्री शादी लाल बत्रा:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए वर्तमान प्रोन्नति नीति का सेवा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों में महिला और पुरुष अधिकारियों को प्रोन्नति देने के लिए अलग-अलग मानदंड हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)**

(क) से (घ): एक विवरण संलग्न है।

..2/-

- 2 -

**सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए प्रोन्नति नीति के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 846 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग):

**सेना:** वर्तमान में सभी अंगों/सेवाओं की महिला अल्प सेवा कमीशन अफसर (एसएससीओ), पुरुष अल्प सेवा कमीशन अफसरों के बराबर क्रमशः 2, 6 और 13 वर्ष की संगणनीय कमीशन सेवा पूरी करने के बाद कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के गैर-चयन रैंकों में मूल पदोन्नति के लिए पात्र होती हैं। स्थायी कमीशन प्राप्त महिला अफसर, पुरुष अफसरों पर यथा प्रयोज्य मानदण्डों के आधार पर ही चयन रैंकों (कर्नल एवं उससे ऊपर) में पदोन्नति हेतु पात्र होती हैं।

**नौसेना:** भारतीय नौसेना में अफसर क्रमशः सब-लेफ्टिनेंट के रूप में 2 वर्षों, मूल लेफ्टिनेंट की पदोन्नति की तारीख से 4 वर्षों, मूल लेफ्टिनेंट की पदोन्नति की तारीख से 11 वर्षों और संगणनीय कमीशन सेवा के 26 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर और कैप्टन (समय-वेतनमान) के रैंक में मूल पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। इन तर्जों पर पदोन्नतियां अफसरों के वर्तमान नियमों के अनुसार अन्य मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होती हैं। यह नीति पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से लागू है।

**वायुसेना:** भारतीय वायुसेना में पुरुषों और महिला अफसरों की पदोन्नति नीति समान है। विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन (टीएस) के गैर चयन रैंक तक पदोन्नति सेवा के वर्षों और न्यूनतम कार्य-निष्पादन मानदंड पर आधारित है और यह पुरुष और महिला के लिए लागू है। अफसर क्रमशः 2 वर्ष, 6 वर्ष, 13 वर्ष और 26 वर्ष की संगणनीय कमीशन सेवा पूरी करने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन (समय वेतनमान) के रैंक में मूल पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं। इन तर्जों पर पदोन्नतियां वर्तमान नियमों के अनुसार अफसरों के अन्य मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन होती हैं। ग्रुप कैप्टन (चयन) और उससे ऊपर के रैंक से पदोन्नति प्रचलित पदोन्नति नीति के अनुसार चयन प्रक्रिया पर आधारित होती है जो पुरुष और महिला दोनों के लिए एक समान होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*